REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPT. FOR THE YEAR 2007-08.

In the year 2007-08 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails dept. of Haryana State :—

1.	Central Jail at Ambala and Hisar	02
2.	District Jails at Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Mohindergarh, Sonepat, Rewari, Kaithal and Narnaul.	12
3.	Borstal institute and Juvenile Jail at Hisar	01
4.	Sub Jails at Palwal, Panipat, Ballabgarh, and Jagadhari	04
5.	Jail Training school at Hisar	01
6.	Office of the District Probation Officer at Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani, and Sirsa.	08
	TOTAL	**28**

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the state was 12286 as on 01.04.2007, during the year 69031 prisoners remained admitted in the jails. The average number of all categories of inmates during the year was 222.18. At the end of the year 13193 prisoners were remaining in jails. The number of convicts in Judicial Lockups was 4955 as on 01.04.2007. During the year 8456 persons were convicted either by the courts in Haryana, or on transfer from other places were sent to the jails in Haryana. 8489 convicts were discharged from jails. Thus 4922 convicts were remaining at the end of the year. Daily average of convicts during the year was 36.64 Maximum number of convicts of all types was 5258. The number of High Security Class convicts as on 01.04.2007 was 33. During the year 13 convicts were admitted and 8 convicts were discharged. 38 convicts were remaining at the end of the year. The number of persons imprisoned in lieu of fine was 23 as on 01-04-07 and during the year 484 convicts were admitted and 439 were discharged. Thus 68 convicts were remaining at the end of the year.

The number of undertrail prisoners as on 01.04.2007 was 7331. During the year further 60575 were admitted in Jails. Daily average of such undertrial prisoners was 185.54. Maximum number of undertrial prisoners was 8133.

Out of 67906 undertrial prisoners, 59635 were released being innocent, 8271 undertrial prisoners were remaining at the end of the year. 251 undertrial prisoners were transferred and 37 were died during the year. The undertrial prisoners had to stay in jails of Haryana on an average of 44 days.

Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.04.2007 was 349. During the year, 2373 women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails) and 2239 women were either released or sent to other Jails. Therefore, number of women prisoners at the end of the year were 483. There were 57 children along with women prisoners as on 01.04.2007. During the year 7 child was born and 213 came to Jail with women prisoners. 197 children were released with women prisoners. Thus at the end of the year only 80 children remained admitted alongwith the women prisoners.

3. During the year a sum of Rs. 22,12,71,837/- was spent on the protection, diet etc. on the prisoners. Thus per capita average expenditure was Rs. 16,524/-.

4. During the year 2007-08 health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation of Jails. T.B patients were isolated in special wards and they were given suitable medical treatment. In order to improve the general sanitation, flush latrines with under ground sewerage were provided for prisoners in all jails of Haryana. Further more fans were also provided in living barracks and other accommodation for the prisoners. These conveniences provided to the prisoners with much desired relief during the summer and rainy seasons.

During the year under report the standard discipline in the jails was satisfactory, the details of which are as under :—

a) Turmoil ☞ There was no Turmoil in any Jail of the state.

b) Hunger Strike ☞ During the year 2007-08 no Prisoner or Undertrail resorted to hunger strike.

c) Escape ☞ During the year 2007-08, no prisoner escaped from the Jails of Haryana and no prisoner was recaptured.

d) Attack ☞ During the year 2007-08, there was no case of attack on the prisoners.

e) Offences ☞ During the year 2007-08, the total number of Jail offences was 1666, the details of which are as under:

Offences		2006-07	2007-08
i)	Total offences for which the prisoners were sent to courts.	2250	1666
ii)	Total Major Offences	211	187
iii)	Minor Offences	2039	1479
	Total	**2250**	**1666**

50 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 3453 prisoners were released on parole/ furlough. With a view mitigating the financial difficulties and physical strains of the relatives and friends to visit the prisoners, the prisoners are kept in the jails nearest to their home places as far as possible. The prisoners whose performance in jails was adjudged best and whose Jail conduct was found satisfactory, they were awarded special remission.

5. For mental and physical development of the prisoners, arrangement for lectures on religious topics were made. Arrangements for morning and evening prayers, meetings, radio programmes, indoor and outdoor games and practices of yoga had also been made. 486 lectures, 45 dramas and 168 cultural programmes were organized. For the recreation of prisoners television sets have also been installed in Jails.

6. The details of production of factories in jails are given in table below:—

Sr.No.	Name of Jails	2006-07	2007-08
1.	C.J. Ambala	3187867-00	2281411-00
2.	C.J. Hisar	1247672-00	1779543-00
3.	B.I.J. Hisar	34457-00	43648-00
4.	D.J. Rohtak	714241-00	763842-00
5.	D.J. Karnal	905253-00	1302750-00
6.	D.J. Narnaul	26967-00	27997-00
7.	D.J. Bhiwani	376480-00	527226-00
8.	D.J. Gurgaon	——	287114-00
	Total	6492937-00	7013531-00

7. In the year 2007-08, 427 Warders/ Head Warders were imparted training in the Jail Training School, Hisar. During the year 2007-08, 204 officers/ officials were imparted training in various Institutes.

8. The prisoners were given the facilities for purchasing commodities for their personal use such as Sugar, Tea, Gur, Ghee, Soap, Oil, Cigrette, Biddies etc. from the canteen of the Jails at reasonable prices. These canteens have been opened in the Central Jails/ District Jails, Borstal Institution and Juvenile Jail and major Sub Jails.

9. This facility checked the tendency of taking things from outside in Jails. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distributing ration and other goods. Special concession was given to those prisoners performing excellent work. The welfare officers have been appointed in each prison at Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon and Borstal Jail at Hisar. They help the prisoners in improving upon their personal behavior and prisoners were given training in industries and agricultural practices according to their choice.

Financial Commissioner & Principal Secretary
to Govt. Haryana Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.03.08 there was a provision for accommodation of 10678 prisoners in Haryana, where as the average number of prisoners in the year was 13391. During this year the number of prisoners in all Central/ District Jails & Borstal Jails was more than the accomodation capacity.

2. In the year 2007-08, no prisoner escaped from the Jails of Haryana and no was recaptured. There was no case of turmoil in the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack during the year

3. In the year 2007-08 goods worth Rs. 7013531/- were produced in the industries being run in the jails as against production worth Rs. 6492937/- during the year 2006-07. In the year 2007-08, 50 life term prisoners were released prematurerly. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 3453 prisoners were released on parole/ furlough.

Financial Commissioner & Principal Secretary
to Govt. Haryana Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2007–08 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2007–08 में निम्नलिखित संस्थायें हरियाणा राज्य के जेल विभाग के अधीन कार्यरत :

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल व कैथल।	12
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
4.	उप जेल, पलवल, पानीपत, बल्लबगढ़ तथा जगाधरी।	04
5.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, हिसार	01
6.	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08
	कुल जोड़	**28**

2. राज्य की सभी जेलों तथा ज्यूडिशियल लोकअप में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.04.2007 को 12286 रही। वर्ष के दौरान 69031 बन्दी दाखिल हुए। बन्दियों की वर्ष भर औसत संख्या 222.18 रहीं। वर्ष के अन्त में शेष बन्दी 13193 रहे। सिद्ध दोषियों की संख्या ज्यूडिशियल लोकअप में रहने वालों के अतिरिक्त 01.04.2007 को 4955 थी। वर्ष भर में 8456 सिद्धदोषी न्यायलयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। वर्ष के दौरान 8489 बन्दी रिहा किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल 4922 सिद्व द्वोषी जेलों में रह गये। सिद्व द्वोषियों की दैनिक औसत तथा अधिकतम संख्या क्रमशः 36.64 तथा 5258 थी। दिनांक 01.04.2007 को उच्च श्रेणी के दोषियों की संख्या 33 रही तथा वर्ष के दौरान 13 बन्दी दाखिल हुए और 8 छोड़े गये और वर्ष के अन्त में संख्या 38 थी। जुमार्ना के तहत कैद हुये दोषियों की संख्या 01.04.2007 को 23 थी और वर्ष के दौरान 484 दाखिल हुए और 439 छोड़े गये। वर्ष के अन्त में 68 बन्दी शेष रह गये।

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.04.2007 को 7331 थी। वर्ष भर में 60575 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये, ऐसे बन्दियों की दैनिक औसत 185.54 तथा 8133 थी। कुल

67906 विचाराधीन बन्दियों में से 59635 को निर्दोष होने के कारण छोड़ दिया गया और वर्ष के अन्तिम दिन 8271 विचाराधीन बन्दी शेष रहे। 251 बन्दियों को अन्य जेलों पर बदला गया। पूरे वर्ष के दौरान 37 बन्दियों की मृत्यु हुई। विचाराधीन बन्दियो को औसतन 44 दिन जेल मे रहना पडा।

हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.04.07 को स्त्री बन्दियों की संख्या 349 थी। 2373 स्त्री बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलों से बदल कर आये तथा 2239 स्त्री बन्दियों को मुक्त किया या दूसरे राज्यो की जेलों में भेजा गया और वर्ष के अन्त में स्त्री बन्दियों की संख्या 483 थी। दिनांक 01.04.2007 को जेलों में स्त्री बन्दियों के साथ 57 बच्चे थे और वर्षभर में जेलों में 7 बच्चे पैदा हुऐ और 213 बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ जेलों में आये और 197 बच्चों को स्त्री बन्दियों के साथ छोड़ा गया। वर्ष के अन्त में कुल 80 बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ रह गये।

3. बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर में 22,12,71,837/– रुपये खर्च किये गये थे। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसतन खर्चा 16,524/– रुपये हुआ।

4. बन्दियों का स्वास्थ्य 2007–08 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई आदि का ध्यान रखा गया, तपेदिक रोगियों को स्पेशल वार्ड में रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया, जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतु बन्दियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शोचालयों का प्रबन्ध किया हुआ है। बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटायें गये, डी.डी.टी. का छिड़काव, चेचक के टीके आदि व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। इसके अतिरिक्त बन्दियों की बैरकों तथा अन्य रहने के स्थान में बिजली के पंखे लगाये हुए है। इन सुविधाओं के पर्याप्त मात्रा में होने से बन्दियों को ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में काफी राहत मिली है। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से किया गया है:–

क) उपद्रव – वर्ष भर में किसी जेल पर कोई उपद्रव नहीं हुआ है।

ख) भूख हड़ताल – वर्ष 2007–08 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।

ग) फरारी – वर्ष 2007–08 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ और ना ही कोई बन्दी पकड़ा गया।

घ) आक्रमण – वर्ष 2007–08 में बन्दियों पर कोई आक्रमण नहीं हुआ।

ङ) अपराध – वर्ष 2007–08 में अपराधों की कुल संख्या 1666 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

		2006–07	2007–08
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को आदालत में भेजा गया।	2250	1666
2.	मुख्य अपराध	211	187
3.	लघु अपराध	2039	1479
	कुल अपराध	**2250**	**1666**

50 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3453 बन्दियों को पेरोल/फर्लो पर रिहा किया गया। बन्दियों को उनके रिश्तेदारों तथा दोस्तों द्वारा मुलाकात करने बारे वित्तीय तथा शारीरिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है को ध्यान में रखते हुये बन्दियों को जहां तक संभव हो सके उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता हैं। जिन बन्दियों ने उच्चतम कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन्हें विशेष छूट दी गई।

5. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये धार्मिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल की प्रार्थना सभाओं, रेडियों, अन्दर तथा बाहर की क्रीडाओं के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। 486 व्याख्यान, 45 ड्रामें और 168 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। बन्दियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में एक–एक टेलीविजन भी लगाया हुआ है।

6. निम्नलिखित जेलों में तैयार किये गये माल के मूल्य का ब्यौंरा दिखाया गया है:–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2006–07 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2007–08 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	3187867.00	2281411.00
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	1247672.00	1779543.00
3.	बच्चा जेल हिसार	34457.00	43648.00
4.	जिला जेल रोहतक	714241.00	763842.00

5.	जिला जेल करनाल	905253.00	1302750.00
6.	जिला जेल, नारनौल	26967.00	27997.00
7.	जिला जेल भिवानी	376480.00	527226.00
8.	जिला जेल गुडगांव	....	287114.00
	कुल जोड़	**6492937.00**	**7013531.00**

7. जेल ट्रेनिंग स्कूल हिसार में 2007–08 में 427 वार्डरज/हैड वार्डरज को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2007–08 मे 204 अधिकारियों/कर्मचारियों को अलग अलग संस्थानों से प्रशिक्षण दिया गया।

8. बन्दियों को उचित मूल्यों पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीद की सुविधा दी गई है, जैसे चीनी, चाय, गुड़, घी, साबुन, तेल इत्यादि। ये कैन्टीन केन्द्रीय कारागारों, जिला कारागारों, बोस्टल संस्था तथा बच्चा जेल में तथा उप–कारागारों में हैं।

9. इस सुविधा से निषेध वस्तुओं को जेलों में ले जाने की प्रक्रिया में रूकावट रही है। भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया। जिन जिन बन्दियों ने उतम काम किया उन्हें विशेष छूट दी गई। अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुडगांव तथा बच्चा जेल हिसार की कारागारों में एक–एक कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं जिन्होंने बन्दियों का निजि व्यवहार सुधारनें में उनकी सहायता की, बन्दियों की रूचि के अनुसार उद्योग, आधुनिक कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग, हरियाणा।

समालोचना

वर्ष 31–03–2008 के अन्त तक हरियाणा के 10678 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि बन्दियों की औसत संख्या 13391 थी। इस वर्ष सभी केन्द्रीय जेलों/ जिला जेलों व बच्चा जेल हिसार में अपराधियों की संख्या अधिकृत स्थान से अधिक थी।

2. वर्ष 2007–08 में जेलों से कोई बन्दी फरार नही हुआ और ना ही कोई बन्दी पकडा गया। पूरे वर्ष राज्य में कोई उपद्रव नही हुआ। ना ही वर्ष भर मे कोई आक्रमण हुआ पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हडताल भी नही की।

3. वर्ष 2007–08 में रूपये 7013531/– की लागत का माल जेलों के उद्योग मे तैयार किया गया जबकि वर्ष 2006–07 में 6492937/– रुपये का माल तैयार हुआ था। वर्ष 2007–08 के दोरान 50 बन्दी अपनी सजा की रिहाई की शर्तों के पूर्ण करने पर समय पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों को भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 3453 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर छोडा गया।

वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
जेल विभाग, चण्डीगढ़।

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2007–08 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–1

1. प्रस्तावना

जेल विभाग का 1.4.2007 से 31.3.2008 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा :–

1. श्री विकास, आई०पी०एस० — 01.04.2007 से 31.10.2007
   महानिदेशक कारागार हरियाणा
2. डॉ० जोन वी० जोर्ज, आई०पी०एस० — 03.11.2007 से 31.03.2008
   महानिदेशक कारागार हरियाणा

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :–

1. श्री आर० एन० चाहलिया, आई०पी०एस० — 01.04.2007 से 07.12.2007
   अपर महानिदेशक कारागार
2. श्री एम० एस० अहलावत, आई०पी०एस० — 16.07.2007 से 6.08.2007
   महानिरीक्षक कारागार
3. श्री एम० एस० मान, आई०पी०एस० — 10.12.2007 से 8.08.2008
   महानिरीक्षक कारागार
4. श्री राज कुमार, एच०पी०एस० 1 — 01.04.2007 से 16.07.2007
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
5. श्री जगजीत सिंह, एच०पी०एस० 1 — 10.8.2007 से 7.09.2007
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
6. श्री राज कुमार, एच०पी०एस० 1 — 17.09.2007 से 31.03.2008
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
7. श्री आर०के० पटियाल, — 16.04.2007 से 1.09.2007
   वरिष्ठ लेखा अधिकारी
8. श्री सतबीर शर्मा, — 7.11.2007 से 31.03.2008
   लेखा अधिकारी

9.	श्री जसविन्द्र सिंह गिल, सहायक जिला न्यायवादी	01.04.2007 से 31.03.2008
10.	श्री हरपाल सिहं, अधीक्षक	01.04.2007 से 1.07.2007
11.	श्री बृज बिहारी, अधीक्षक	04.07.2007 से 31.03.2008
12.	श्री ललित कुमार, अनुभाग अधिकारी	01.04.2007 से 31.03.2008

2. संस्थायें

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल व कैथल।	12
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
4.	उप जेल, पलवल, पानीपत, बल्लबगढ़ तथा जगाधरी।	04
5.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, हिसार	01
6.	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08
	कुल जोड़	**28**

3. बन्दियों में अनुशासन व उनका आचरण

कुल मिलाकर बन्दियों में अनुशासन का स्तर ऊँचा रहा। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है :–

क) उपद्रव – वर्ष भर में किसी जेल पर कोई उपद्रव नहीं हुआ है।

ख) भूख हड़ताल – वर्ष 2007–08 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हडताल नहीं की।

ग) फरारी – वर्ष 2007–08 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नही हुआ और ना ही कोई बन्दी पकड़ा गया।

घ) आक्रमण – वर्ष 2007–08 में बन्दियों पर कोई आक्रमण नहीं हुआ।

ङ) अपराध – वर्ष 2007–08 में अपराधों की कुल संख्या 1666 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

	2006–07	2007–08
1. कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को आदालत में भेजा गया।	2250	1666
2. मुख्य अपराध	211	187
3. लघु अपराध	2039	1479
कुल अपराध	**2250**	**1666**

4. सुधार तथा सुविधायें

वर्ष 2007–08 में बहुत सी जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही हैं। बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा।

क. पैरोल/फरलो

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देरी तथा कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रणाली का बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। इसके पश्चात केवल जिलाधीश से विचार–विमर्श किया जाता है। पैरोल/फरलो देने का अधिकार कारागार महानिदेशक तथा अधीक्षक जेलों को दिया गया है। 01.04.2007 से 31.03.2008 तक 3453 बन्दियों को उनके निजी कार्यों के लिए तथा आचरण के अनुसार पैरोल/फरलो पर छोड़ा गया।

ख. समय पूर्व रिहाई

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति को अपने यादी क्रमांक 46/23/2000–4जेजे–।। दिनांक 12.04.02 द्वारा

संशोधित किया है। नई नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा हवालात अवधी सहित 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता है। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया है तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करूणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा हवालात अवधी सहित 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता है। वर्ष 2007–08 में 50 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण आदि के कारण समय पूर्व रिहा किया गया है।

ग. बन्दियों की बदली

बन्दियों के रिश्तेदारों तथा दोस्तों को मुलाकात करने बारे वित्तिय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब बन्दियों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नज़दीक जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके घरवाले तथा दोस्त बन्दियों से आसानी से मिल सकें।

घ. कैन्टीन

केन्द्रीय जेल अम्बाला/हिसार तथा जिला जेलों तथा बोस्टल जेल में बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, घी, चाय, गुड़ आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में बिना अधिकार प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संख्या पर पूरा नियन्त्रण रहा है।

ङ पंचायतें

भिन्न–2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

च छूट

जिन बन्दियों ने उत्तम कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

छ पंखें

बन्दियों को बैरकों में पंखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके। हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यह सुविधा प्रदान कर रखी है।

ञ फ्लश टाईप शौचालय

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है जिनके गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर है।

ट बन्दियों का मनोरंजन

बन्दियों के मनोरज़न के लिए जेलों में रेडियो/टेलिविजन सैट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक प्रकार से देखे जा सकते हैं।

5. भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का सांस्कृतिक कार्यक्रम

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न–2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यों की व्यवस्था की गई है। इसमें भीतर तथा बाहर क्रीड़ा, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सांय की प्रार्थना सभाएं, रेडियों प्रोग्राम भी करते हैं। प्रति दिन टेलिविज़न शौ भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पब्लिक द्वारा 486 व्याख्यान, 45 ड्रामें तथा 168 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

6. कल्याण सेवायें

अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुडगांव तथा बच्चा जेल हिसार की जेलों में एक–एक कल्याण अधिकारी नियुक्त है। इन अधिकारियों ने बन्दियों को नए वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने बन्दियों के निजी व्यवहार और मुश्किलों को हल करने में सहायता की। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने नए आने वाले बन्दियों से अनुस्थापन बात–चीत की। इस प्रकार छूट/दौड़ जाने वाले बन्दियों से भी सम्पर्क पैदा किया जिससे यदि किसी व्यक्ति की रिहाई के बाद पुनर्वास में किसी प्रकार की सहायता अथवा निर्देशन की आवश्यकता हो तो उसे सहायता दिए जाने बारे भी प्रावधान किए जाने की व्यवस्था थी।

अध्याय–2

उद्योग

1. वित्त वर्ष 2007–08 में बन्दियों को फैक्टरी में काम पर लगाए जाने की संख्या 551 थी।

2. वित्त वर्ष 2007–08 में कुल उत्पादन धन राशि 7013531/– रुपये का हुआ। इससे पूर्व 2006–07 में कुल उत्पादन धन राशि 6492937/– रुपये था जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 520594/– रुपये अधिक हुआ।

3. अलग–2 जेलों का उत्पादन निम्न सारणी में वर्ष 2007–08 में हुए उत्पादन की संख्या भी दी जाती है :–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2006–07 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2007–08 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	3187867.00	2281411.00
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	1247672.00	1779543.00
3.	बच्चा जेल हिसार	34457.00	43648.00
4.	जिला जेल रोहतक	714241.00	763842.00
5.	जिला जेल करनाल	905253.00	1302750.00
6.	जिला जेल, नारनौल	26967.00	27997.00
7.	जिला जेल भिवानी	376480.00	527226.00
8.	जिला जेल गुड़गांव	....	287114.00
	कुल जोड़	**6492937.00**	**7013531.00**

4. वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में प्रति व्यक्ति उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया जाता है। उसमें विभिन्न जेल उद्योगों में लगाए गए व्यक्ति की औसत संख्या, प्रति व्यक्ति उत्पादन दिया जाता है जिससे पता चलता है कि कितनी प्रगति हुई :–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2006–2007 में बन्दियों की संख्या	वर्ष 2006–2007 में प्रति बन्दी उत्पादन	वर्ष 2007–08 में प्रति दिन बन्दियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में प्रति बन्दी उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	200	1068	18	625
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	179	6935	159	821
3.	बच्चा जेल, हिसार	15	2297	20	2182
4.	जिला जेल, रोहतक	35	366	27	384
5.	जिला जेल, करनाल	175	432	258	1136
6.	जिला जेल, नारनौल	30	899	30	933
7.	जिला जेल, भिवानी	187	167	37	396
8.	जिला जेल, गुडगांव	.....	.....	2	393
	कुल जोड़	**821**	**12164**	**551**	**6870**

5. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2007–08 में तथा इससे पूर्व वर्ष 2006–07 तक निम्नलिखित जेलों में जेल विभाग मे बिक्री का ब्यौरा दिया जाता है :–

क्रम स०	जेलों का नाम	वर्ष 2006–2007 में हुई बिक्री	वर्ष 2007–08 में हुई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	1114121.00	2530966.00
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	477339.00	1052953.00
3.	बच्चा जेल, हिसार	42991.00	30306.00
4.	जिला जेल, रोहतक	687792.00	640964.00
5.	जिला जेल, करनाल	332151.00	412584.00
6.	जिला जेल, गुडगांव	.....	77794.00
7.	जिला जेल, भिवानी	599256.00	260887.00
	कुल जोड़	**3253650.00**	**5006454.00**

जेल विभाग, दूसरे सरकारी विभागों तथा प्राईवेट व्यक्तियों से की गई बिक्री का ब्यौरा:–

क्रम स०		वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08
1.	जेल विभाग से की गई ब्रिकी	3253650.00	5006454.00
2.	दूसरे सरकारी विभागो से की गई ब्रिकी	4241694.00	2348248.00
3.	प्राईवेट विभागों से की गई ब्रिकी	67307.00	124211.00
	कुल जोड़	**7562651.00**	**7478913.00**

क्रम सं०	जेल का नाम	सरकारी विभागों से की गई बिक्री	जेल विभाग से की गई बिक्री	प्राईवेट विभाग से की गई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	1040776.00	2530966.00	41060.00
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	645882.00	1052953.00	83151.00
3.	बच्चा जेल, हिसार	शून्य	30306.00	शून्य
4.	जिला जेल, रोहतक	45972.00	640964.00	शून्य
5.	जिला जेल, करनाल	332151.00	412584.00	शून्य
6.	जिला जेल, नारनौल	1030.00	शून्य	शून्य
7.	जिला जेल, भिवानी	73117.00	260887.00	शून्य
8.	जिला जेल, गुडगांव	209320.00	77794.00	शून्य
	कुल जोड़	**2348248.00**	**5006454.00**	**124211.00**

6. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2007–08 तथा इससे पूर्व वर्ष 2006–07 में निम्न जेलों द्वारा वसूली का ब्यौरा:–

क्रम सं०	जेलों का नाम	वर्ष 2006–2007 में हुई वसूली	वर्ष 2007–08 में हुई वसूली
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	571661.00	1851130.00
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	1264391.00	91781986.00
3.	बच्चा जेल, हिसार	184752.00	20431.00
4.	जिला जेल, रोहतक	566406.00	824059.00
5.	जिला जेल, करनाल	519452.00	840246.00
6.	जिला जेल, गुडगांव	शून्य	1856.00
7.	जिला जेल, भिवानी	813292.00	590576.00
8.	जिला जेल, महेन्द्रगढ़	5770.00	110142.00
9.	जिला जेल, नारनौल	शून्य	1030.00
	कुल जोड़	**3925724.00**	**6021446.00**

जेलों द्वारा जो माल तैयार किया जाता है वह अन्य विभागों को उनकी मांग अनुसार सप्लाई किया जाता है।

7. **कृषि फार्म**

वित्त वर्ष 2007–2008 में जेल कृषि फार्म पर कुल खर्चा रुपये 1876550.00 किया गया तथा कृषि फार्म से कुल उत्पादन रुपये 5628318.00 का हुआ । इस प्रकार कृषि फार्म से वर्ष भर में कुल आय रूपये 3751768.00 हुई । जिस का विवरण निम्नप्रकार से है :–

क्रम सं०	जेल का नाम	कुल खर्चा रुपये में	कुल उत्पादन रुपये में	कुल आय रुपये में
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	88639.00	213942.00	125303.00
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	42732.00	135078.00	92346.00
3.	जिला जेल, रोहतक	53859.00	218117.00	164258.00
4.	जिला जेल, करनाल	1000941.00	3435887.00	2434946.00
5.	जिला जेल, भिवानी	177775.00	568186.00	390411.00
6.	जिला जेल, सोनीपत	190821.00	510718.00	319897.00
7.	जिला जेल, जीन्द	321783.00	546390.00	224607.00
	कुल जोड़	**1876550.00**	**5628318.00**	**3751768.00**

8. **कपड़ा**

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतु कपडा बनाया जा रहा है। बोस्टल जेल हिसार तथा भिवानी जेलों पर हथकरघा से भी कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झांडन/बस्ताज/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारू रूप से पूरी की जा रही है।

केन्द्रीय जेल, अम्बाला के बन्दियों को तथा बोस्टल जेल, हिसार के बन्दियों को विशेष रूप से स्त्री बन्दियों को जूराबें बुनने की ट्रेनिंग देने हेतू दोनों जेलों पर सोक्स निटिंग

मशीनों की स्थापना हो चुकी है। अतः इन बन्दियों को ट्रेनिंग देने के लिए फिलहाल जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से इन्सट्रक्टर नियुक्त करवाये जा रहे हैं और इस प्रकार बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग तो दी ही जायेगी। इससे विभाग के वार्डर गार्द की जुराबों की मांग को पूरा होने के साथ–साथ पुलिस विभाग/गृह रक्षी विभाग तथा हरियाणा राज्य के अन्य विभागों की जुराबों की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सजा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह पारगंत होकर जेल से बाहर जायेंगें, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगें। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय–3

(विशेष संस्थायें)

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल हिसार

हिसार स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग तथा राज्यों के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस स्कूल में वार्डर तथा हैड वार्डरों, उप सहायक अधीक्षक के साथ–2 अधीक्षक, उप अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस सम्बन्ध में जेल मैनुअल कारागार, प्रशासन, कानून, क्रिमिनालोजी, साईकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, मिलिट्री ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग–धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण के साथ–2 जेल के प्रशासन में जेल के कैदियों में सुधार के साथ–2 अभ्यस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार की ओर ध्यान दिया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, उन्हें निम्नलिखित ट्रेनिंग शिविरों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था :–

Annual Training Report for the Year 2007-08

Name of Course	Duration & Place of Course	Dates of Course	Nominated Officers/ Officials
2	3	4	5
6th Course on "Stress, Healthy Coping and Constructive Empowerment" (Phase I)	5 days NICFS Rohini, New Delhi	03.04 07 to 07.04.07	1. Sh. Ramesh Yadav,Supdt. 2. Sh. Daya Nand, DS
Course on " "Human Rights	3 days ICA Chandigarh	06.04.07 to 08.04.07	1. Sh. Rajender Siwatch, Supdt. 2. Sh. Sher Singh, DS 3. Sh. Ram Kumar, AS
Course on Website Preparations & Front Page Usage	5 days HIPA Gurgaon	09.04.07 to 13.04.07	1. Warder Nathu Ram 2. Warder Pawan Kumar 3. Warder Anil Kumar 4. Warder Tulsi Ram
Accounts Training – Civil Course for Accountants/ Assistants /Account Clerks.	Two Weeks, at Accounts Training Institute Haryana, Panchkula	09.04.07 to 20.04.07	1. Smt. Promila Devi, acctt. 2. Sh. Surender Singh, Clerk 3. Sh. Vikas Yadav
2nd Seminar on Sentencing	3 days NICFS Rohini, New Delhi	15.04.08 to 17.04.08	1. Sh. Devi Dayal, DS
Course on "Prison Administration with a focus on Security System".	5 days ICA Chandigarh	23.04.07 to 27.04.07	1. Sh. Shamsher Singh, DS 2. Sh. Ashok Kumar, AS 3. Sh. Dharambir Singh, AS
Course on Innovation in Administration for Improving delivery of Services	5 days HIPA Gurgaon	23.04.07 to 27.04.07	1. Sh. Tej Singh, AS 2. Sh. Ram Chander, AS 3. Sh. Naresh Kumar, AS 4. Sh. Ram Kishan, SAS

1	2	3	4	5
	78th Course on Juvenile Delinquency	5 days NICFS Rohini, New Delhi	05.05.08 to 09.05.08	1. Sh. Surender Dalal, DS
	RTI Course for SPIOs/APIOS	5 days HIPA Chandigarh	07.05.07 to 11.05.07	1. Sh. Kulbir Singh, DS 2. Sh. Surender Godara, DS 3. Sh. Ram Kishan Khatak, DS
	5 Days course at HIPA Gurgaon	5 days HIPA Gurgaon	07.05.07 to 11.05.07	1. Sh. Sunil Sangwan, DS 2. Sh. Sanjay Singh, DS 3. Sh. Atma Ram, DS
	Course on Website preparation techniques & HTML	5 days HIPA Gurgaon	14.05.07 to 18.05.07	1. Sh. Lakhbir Singh, DS
	Course on "Capacity Building for Prisoners' Welfare"	5 days ICA Chandigarh	14.05.07 to 18.05.07	1. Sh.Sukh Ram Bishnoi,DS 2. Sh. Ray Sahab, AS 3. Smt. Bimla Devi, AS
	Course on "Personality Development" at Lucknow	3 days Lucknow, UP	17.05.08 to 19.05.08	1. Sh. Vishal Chhiber, AS
	Course on "Human Rights"	3 days ICA Chandigarh	19.05.07 to 21.05.07	1. Sh. Om Parkash, DS 2. Sh. Lakhbir Singh, DS 3. Sh. Gurdeep Singh, AS
	Course on "Personality Development" at Lucknow	3 days Lucknow, UP	20.05.08 to 22.05.08	1. Sh. Lok Ram, AS
	Course on "Personality Development" at Lucknow	3 days Lucknow, UP	23.05.08 to 25.05.08	1. Sh. Dharambir Singh,AS
	18th Course on Emerging for Criminal Justice System	5 days NICFS Rohini, New Delhi	26.05.08 to 30.05.08	1. Sh. Devi Dayal, DS
	Vertical Interaction Course on "Identification of Best Prison Practices' for Prison Officers"	5 days ICA Chandigarh	11.06.07 to 16.06.07	1. Sh. JP Sethi, Supdt. 2. Sh. Shishu Pal, DPO 3. Sh. Virender Lamba, DS 4. Sh. Sanjay Bangar, AS 5. Sh. Sewa Singh, AS

2	3	4	5
9th Course on "Stress, Healthy Coping and Constructive Empowerment" (Initiation Phase)	5 days NICFS Rohini, New Delhi.	05.07.07 to 11.07.07	1. Sh. Risal Singh, Supdt.
Course on "Correctional Legislation"	5 days ICA Chandigarh	16.07.07 to 20.07.07	1. Sh.Jai Kishan Chhillar,DS 2. Sh. Balak Ram, DS 3. Sh. Jaswant Singh, AS 4. Sh. Rajender Singh, AS
Course on "Windows Server Administration"	Two Weeks, HIPA Gurgaon	16.07.07 to 27.07.07	1. Sh. Dinesh Yadav, AS 2. Sh. Umesh Kumar, Clerk 3. Sh. Surinder Kumar, Clerk 4. Sh. Rakesh Kumar, Clerk
Course on "Personal Admn and Efficient Conduct of Disciplinary Proceedings."	5 days, HIPA Gurgaon	06.08.07 to 10.08.07	1. Sh.Ramesh Yadav,Supdt. 2. Sh. Varinder Lamba, DS 3. Sh. Sanjeev Kumar, DS
Course on "Web Server Administration & Scripting."	Two Weeks, HIPA Gurgaon	20.08.07 to 31.08.07	1. Warder Radhey Gopal 2. Warder Naveen Kumar 3. Warder Jai Kishan 4. Warder Mohinder Singh
118th Course on Criminology	5 days NICFS Rohini, New Delhi	20.08.07 to 24.08.07	1. Sh. Mahabir Parshad, Supdt.
4th Training Course for State SAS, Part I Exam's Preparation.	Eight Weeks, at Accounts Training Institute Haryana, Panchkula	Starting from 20.08.07 onwards	1. Sh. Ram Dhari, Clerk 2. Sh. Rameshwar Dass,Clerk 3. Ms. Meenakshi Rana,Clerk
Course on "Contemporary Advances in Criminology and Correction"	5 days ICA Chandigarh	27.08.07 to 31.08.07	1. Sh. Resham Singh, AS 2. Sh. Bhim Singh, AS 3. Sh. Surinder Singh, AS 4. Sh. Ray Sahab, AS 5. Sh. Dinesh Yadav, AS

1	2	3	4	5
	5 Days Course "Ethics and Values in Administration".	5 days HIPA Gurgaon	10.09.07 to 14.09.07	1. Sh. Ishwar Singh,Supdt. 2. Sh. Mahabir Parshad,Supdt. 3. Sh. Daya Nand, DS 4. Sh. Sanjay Singh, DS
	Course on "SQL Programming and Database Designing."	Two Weeks, HIPA Gurgaon	17.09.07 to 28.09.07	1. Warder Radhey Gopal 2. Warder Naveen Kumar 3. Warder Jai Kishan 4. Warder Mohinder Singh
	Course on "Computer MS Office–Operational Guidelines".	5 days HIPA Gurgaon	17.09.07 to 21.09.07	1. Sh. Dalbir Singh, Clerk 2. Sh. Rakesh Kumar, Clerk 3. Sh. Sunil Kumar, Clerk 4. Sh. Pardeep, Clerk 5. Sh. Satyaveer, Clerk
	Course on "Prison Administration with a focus on Security System".	5 days ICA Chandigarh	24.09.0 to 28.09.07	1. Sh. J.P. Sethi, Supdt. 2. Sh. Satyapal, AS 3. Sh. Kuldeep Singh, AS
	Computer course on "Office Automation Tools".	4 days, HIPA Gurgaon	08.10.07 to 11.10.07	1. Warder Surinder Singh 2. Warder Ashwani Puri
	Course on "Computer Package MS Office 2000–Operational Guidelines".	Two Weeks, HIPA Gurgaon	15.10.07 to 26.10.07	1. Warder Shashi Kumar 2. Warder Baldev Singh 3. Warder Sohan Lal 4. Warder Shiv Charan 5. Warder Pawan Kumar
	Course on "Cannons of Financial Propriety, Maintenance of Cash Book, GIS, TA Bills".	5 days, HIPA Gurgaon	15.10.07 to 19.10.07	1. Sh. Dalbir Singh, Clerk
	Course on "Stress & Anxiety Management"	5 days ICA Chandigarh	29.10.07 to 02.11.07	1. Sh. Amit Kumar, DS 2. Sh. Satyawan, DS 3. Sh. Jai Pal Sharma, AS
	9th Course on "Stress, Healthy Coping and Constructive Empowerment" (Second Phase)	5 days NICFS Rohini, New Delhi.	12.11.07 to 16.11.07	1. Sh. Risal Singh, Supdt.

2	3	4	5
Computer course on "Content Design & Web Hosting."	Three weeks, HIPA Gurgaon	12.11.07 to 30.11.07	1. Sh. Vikas Yadav, Clerk 2. Sh. Sanjay Kumar, Clerk
Course on "Capacity Building for Prisoners' Welfare"	5 days ICA Chandigarh	26.11.07 to 30.11.07	1. Sh. S.K.Chhibbar, Supdt. 2. Sh. Sukh Ram, DS 3. Sh. Ray Sahab, AS
31st Course on Correctional Legislation	5 days NICFS Rohini, New Delhi	03.12.07 to 07.12.07	1. Sh. J.P. Sethi, Supdt.
Computer Course on "ISAPI using ASP/JSP Technology".	2 Weeks HIPA Gurgaon	10.12.07 to 20.12.07	1. Sh. Vikas Yadav, Clerk 2. Sh. Sanjay Kumar, Clerk
Course on Juvenile Justice & Correctional Admn.	5 days ICA Chandigarh	17.12.07 to 21.12.07	1. Sh. Sanjay Singh, DS 2. Sh. Sunil Sangwan, DS 3. Sh. Harinder Singh, DS 4. Sh. Jai Kishan Chhillar,DS 5. Sh. Deepak Sharma, DS 6. Sh. Surender Dalal, DS 7. Sh. Som Nath, DS
Conference at Vigyan Bhawan	2 days New Delhi	17.12.07 to 18.12.07	1. Sh. Risal Singh, Supdt.
Basic Computer Training Course	2 Weeks O/o DG Prisons, Hry., Panchkula	01.01.08 to 15.01.08	1. Sh. Rajneesh Kumar, Clerk
Course on Correctional Legislation	5 days ICA Chandigarh	21.01.08 to 25.01.08	1. Sh. Satwinder Kumar,DS 2. Sh. Sanjay Bangar, DS
Training workshop on RTI Act, 2005	1 day DTC Panchkula	25.01.08	1. Sh. Sukh Ram Bishnoi,DS 2. Sh. Rattan Singh, DS
48th Course on Human Rights in Criminal Justice System	5 days NICFS Rohini, New Delhi	28.01.08 to 01.02.08	1. Sh. S.K. Chhibber, Supdt.

1	2	3	4	5
	Computer course on "Front End and Back End Aspects of Database Systems".	5 days, HIPA Gurgaon	04.02.08 to 08.02.08	1. Sh. Umesh Kumar,Clerk 2. Sh. Rakesh Kumar,Clerk 3. Sh. Manoj Kumar, Clerk
	75th Course on Criminal Justice System	NICFS Rohini, New Delhi	13.02.08 to 19.02.08	1. Sh. Shamsher Dahiya,DS 2. Sh. Sanjay Bangar, DS 3. Sh. Satyawan, DS
	Basic Computer Awareness Training	5 days, IT Training Lab.,Sinchai Bhawan Pkl	04.02.08 to 08.02.08	1. Sh. Sharwan, DS(Office) 2. Sh. Rajesh Kumar, Clerk 3. Sh. Inder Singh, Clerk 4. Sh. Sunil Kumar, Clerk 5. Sh. Amit Dahiya, Clerk 6. Sh. Surender Rathi, Clerk 7. Sh. Parvesh Kumar, Clerk
	Computer course on "Tables and Charts through Excel".	5 days, HIPA Gurgaon	18.02.08 to 22.02.08	1. Sh. Umesh Kumar, Clerk 2. Sh. Rakesh Kumar, Clerk 3. Sh. Manoj Kumar, Clerk
	Training workshop on RTI Act, 2005	1 day DTC Panchkula	25.02.08	1. Sh. Lakhbir Singh, DS
	Courses on "Advances in Criminology and Correction"	5 days ICA Chandigarh	25.02.08 to 29.02.08	1. Sh. Deepak Sharma, DS 2. Sh. Surender Kumar,DS 3. Sh. Som Nath, DS 4. Sh. Harinder Singh, DS 5. Sh. Sanjay Singh, DS
	Course on Stress and Anxiety Management	5 days ICA Chandigarh	17.03.08 to 20.03.08	1. Sh. Shahid Hussain,DS

Annual Training Report for the Year 2007-08

One days workshop on Documentation on Management of record with reference to right to information Act. 2005.	DTC, Pkl.	17 April, 2007	Sh. Sukhwant Singh, Asstt. O/o D.G. Prisons, Haryana.

2	3	4	5
Two days Computer Training on MS-Excel' Generation of Table and Chart etc. Internet, E-mail Operation.	DTC, Pkl.	17–18 April, 2007	Sh. Navneet Suri, Clerk O/o D.G. Prisons, Haryana.
Pension and Service Matters	Kaithal.	23–27 April, 2007	Inder Jeet Singh, Clerk, D.J. Kaithal.
Duties and Functions of Clerks.	DTC, Pkl.	30April to 04 May 2007	Sh. Naresh Kumar, Clerk. O/o D.G. Prisons Haryana.
One day workshop on RTI Act-2005	DTC, Pkl.	03 May 2007	Sh. Lakhbir Singh,Dy.Supdt. (S) O/o D.G. Prisons Haryana. Sh. Raj Kumar, C.P.O. O/o D.G. Prisons Haryana
Administrative efficiency on govt. deptt. State polices of Service matters. Rules Regulations instruction, clarification thereon.	DTC, Pkl.	21-25 May., 07	Sh. Rameshwar Dass, Clerk O/o D.G. Prisons Haryana.
Two days Computer Training on MS Excel, Generation of Tables and Chats etc. Internet Email Operations.	DTC, Pkl	20-21 June, 07	Sh. Rajeev Kumar, Warder O/o D.G. Prisons Haryana.
Pension and Service Matters.	Ambala.	20-29 June, 07	Smt. Sunita Chopra, Asstt. Accountant, Central Jail, Ambala.
Financial Management– Preparation of Budget and allied matters.	DTC, Pkl	25-27 June, 07	Miss. Anupama, Clerk O/o D.G. Prisons Haryana.
Office Automation Tools- Computer Training on MS Word, MS Excel, MS Powerpoint and Internet	DTC, Pkl.	23-27 July, 2007	1. Sh. Lalit Kumar, SO. O/o D.G. Prisons, Haryana. 2. Kr. Anupama, Clerk O/o D.G. Prisons, Haryana.

1	2	3	4	5
	Workshop on Income Tax Matters	DTC, Pkl	26 July, 2007	1. Sh.Devinder Kumar,Asstt. O/o D.G. Prisons, Haryana. 2. Smt.Neerda Anand,Asstt. O/o D.G. Prisons, Haryana.
	Two days Computer Training on MS Excel-Generation of Tables & Charts etc. Internet-E-mail operations	DTC. Pkl.	09-10 August, 2007	1. Sh. Pankaj Ojka, Clerk O/o D.G. Prisons, Haryana. 2. Sh. Rameshwar Das,Clerk O/o D.G. Prisons, Haryana.
	Welfare Schemes for Govt. Employees	DTC, Pkl.	30-31 August, 2007	1. Sh. Subban Singh, Clerk O/o D.G. Prisons, Haryana. 2. Sh. Munish Kumar, Clerk O/o D.G. Prisons, Haryana.
	Two days Computer Training on MS Excel-Generation of Tables & Charts etc.Internet-E-mail operations	DTC, Pkl.	25-26 Sep., 2007	Sanjay Kumar, Assistant, O/O D.G. Prisons Haryana.
	Office Automation Tools	DTC, Pkl.	15-19.10.07	Sh. Dilbag Singh, Warder
	Financial Management	DTC, Pkl.	16-18.10. 2007	Sh. Munish Clerk, H.O.
	One Day Workshop Right to Information	DTC, Pkl.	22.10. 2007	Sh. Lakhbir Singh, Dy. Supdt. H.O.
	Computer Training Oct,07	DTC, Pkl.	29-30	Sh. Kapil Warder
	Punishment and Appeal Rules	DTC, Pkl.	5-6 Nov., 07	Sh. Naresh, Assistant. H.O.
	Pension and Service Matter	DTC, Pkl.	26-30 Nov., 07	Sh. Parvesh, Clerk, DPO, Karnal
	Enhauncing Efficiency through women imporment	DTC, Pkl.	3-7 Dec. 07	Smt. Suresh Bala, Asstt. H.O.
	Developing and effective communication Skill	DTC, Pkl.	10-14 Dec.,2007.	Sh. Sukhwant, Asstt. H.O.

2	3	4	5
Enhanched Litigation	DTC, Pkl.	17-19 Dec., 2007	Sh. Hukam Chand, Clerk.
Orientation Training Programme for Assistant	DTC, Pkl	7-11 Jan.,2008	1. Sh.Rahul Bakshi, Asstt., O/o DG Prisons, Hry.
One day Workshop on Income-Taxx matters	DTC, Pkl	09 Jan., 2008	1. Sh. Dharampal, Clerk O/o DG Prisons, Hry.
Two days computer training on M.S. Excel, generation of tables & Charts.	DTC, Pkl	21-22 Jan.,2008	1. Sh.Sanjay Sharma,Asstt., O/o DG Prisons, Hry.
Punishment & Appeal Rules provision procedure & Practical excercises.	DTC, Pkl	23-24 Jan.,2008	1. Sh.Devinder Sharma,Asstt., O/o DG Prisons, Hry.
One day workshop on Right to Information Act 2005	DTC, Pkl	25 Jan., 2008	1. Sh. Sujhram Bishnoi, Dy. Supdt., C.J. Ambala 2. Sh. Rattan Singh, Dy. Supdt., D.J. Kurukshetra.
Orientation Training Programme for Dy. Supdt. / Supdt.	DTC, Pkl	28 Jan. to 01 Feb., 2008	1. Sh. Daulat Ram Singla, Dy. Supdt., O/o DG Prisons, Hry.
Enhancing efficiency through Woman empowerment	DTC. Pkl	04-08 Feb., 2008	1. Smt. Suresh Bala,Asstt. O/o DG Prisons, Hry.
Enhancing Litigation	DTC. Pkl	13-15 Feb.,2008	2. Sh. Kishan Singh, Clerk O/o DG Prisons, Hry.
One day Workshop on documentation and Management of record with reference to RTI	Ambala	19 Feb., 2008	2. Charanjit Singh, Accountant, C.J. Ambala
Administrative Efficiency in Govt. Deptt.	DTC Pkl	25-29 Feb.,2008	1. Sh. Ranvir Singh, Asstt., O/o D.G. prisons, Hry.
One day Workshop on RTI	DTC Pkl	25 Feb., 2008	1. Sh. Lakhbir Singh,Dy.Supdt. O/o D.G. Prisons, Hry.

1	2	3	4	5
	Computer Fundamnetal M.S. Word	DTC Pkl	04-05 March., 2008	1. Sh. Deepak Bhardwaj, Senior Scale Stenpographer. O/o D.G. Prisons, Hry.
	One day Workshop on documentation and Management of record with reference to RTI	DTC Pkl	19 March., 2008	1. Sh. Hukam Chand, Clerk O/o D.G. Prisons, Hry. 2. Sh. Gurpal Singh, Clerk O/o D.G. Prisons, Hry.
	Computer Training	DTC Pkl	01.02.08 to 15.02.08	1. Sh.Devinder Kumar,Asstt. 2. Sh. Jai Pal Asstt. 3. Sh. Naresh Kumar, Asstt. 4. Sh. Rambir, Asstt. 5. Smt. Neelam Nagi, Asstt. 6. Sh. Ranbie Singh, Asstt. 7. Sh. Rameshwar Dass,Clerk 8. Sh. Kishan Chand, Clerk 9. Sh. Naresh Kumar, Clerk 10. Sh. Mohan Singh, Clerk
	-do-	DTC Pkl	18.02.08 to 29.02.08	1. Sh. Rahul Baksi, Asstt. 2. Sh. Sukhwant Singh,Asstt. 3. Sh. Rann Singh, Asstt. 4. Smt. Suresh Bala, Asstt. 5. Smt. Gita Rani, Asstt. 6. Sh. Kishori Lal, Clerk 7. Sh. Dharam Pal, Clerk 8. Sh. Hukan Chand, Clerk 9. Sh. Gurpal Singh, Clerk 10. Sh. Om Parkash, Clerk

स्त्रियों के लिए कारागार

हरियाणा में 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बंदी स्त्रियों को ीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था। यह प्रबन्ध पूरी तरह से ोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों अलग देख–भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, 1 मैटरन व 14 िला प्रहरी भी नियुक्त हैं।

वर्ष 2007–08 में जेल में हुई भर्ती दोषी स्त्रियों की संख्या तथा उनका भुगतान नीचे या जाता है:–

1.4.2007 को कैदियों की संख्या	सीधे / बदली द्वारा जेल में आये बन्दियों की संख्या	मुक्त किए गए / बदली किए बन्दियों की संख्या	31.3.2008 को बन्दियों की संख्या
349	2373	2239	483

वर्ष 2007–08 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक ौसत संख्या 504 थी। बन्दियों के कपड़ों की मुरम्मत के लिए / कुछ और कार्य जैसे ेलाई / कढाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।

छोटे बच्चों का विवरण

जो शिशु बन्दी औरतों के साथ जेल में आये उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1.	01.04.2007 को बच्चों की संख्या	☞	57
2.	01.04.2007 से 31.03.2008 तक जेल में पैदा हुए बच्चे	☞	07
3.	01.04.2007 से 31.03.2008 तक भर्ती हुए बच्चों की संख्या	☞	213
4.	छोड़े गए बच्चों की संख्या	☞	197
5.	शेष 31.03.2008 को संख्या	☞	80
1.	छः मास तक के बच्चों की संख्या	☞	06
2.	छः मास से एक साल तक के बच्चों की संख्या	☞	14
3.	एक साल से 3 साल तक के बच्चों की संख्या	☞	26
4.	3 साल से 5 साल तक के बच्चों की संख्या	☞	18
5.	5 साल से उपर के बच्चों की संख्या	☞	16
	कुल	☞	80

4. बोस्टल संस्था एवं बच्चा जेल हिसार

हरियाणा की एक मात्र जेल है, जो कि आधुनिक ढंग की है। इसमें किशोर बन्दियों के लिए खेल–कूद उद्योग सिखाने, स्कूल, हस्पताल आदि का प्रबन्ध है।

वर्ष 2007–08 में इस संस्था में निम्न किशोर बन्दियों को रखा गया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

	आई.पी.सी के अधीन सिद्ध दोषी	बोस्टल एक्ट के अधीन कैदी
1. वर्ष के पुरूष में संख्या	129	.....
2. कितने वर्ष भर में दाखिल हुए	11	.....
जोड़	140	.....
1. जिनकी बदली दूसरी जेलों की गई	42	.....
2. अपील पर रिहाई	.....	.....
3. सरकार के आदेश अनुसार रिहाई	.....	.....
4. जमानत पर रिहाई	89	.....
5. कैद की समाप्ति पर रिहाई	02	.....
6. भगौड़े कैदियों की संख्या	.....	.....
7. कैद से छूट आदि मिलने पर रिहाई	.....	.....
8. मरे हुए कैदियों की संख्या	.....	.....
9. अन्य कारणों से	.....	.....
जोड़	133	.....
वर्ष के अन्त में शेष कैदी	07	

इस संस्था में ऐसे किशोर बन्दियों को जिनको न्यायलय से सजा मिलती है और उनकी आयु 21 वर्ष से कम होती है, रखने का प्रबन्ध है। इस प्रकार इस संस्था का उद्देश्य किशोर बन्दियों के पूर्व जीवन और आचरण के कारणों का पता लगाना है। साथ ही उनको सभ्य नागरिक और कानून का आदर करने वाले पहरी बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

के लिए उनके मानसिक सुधार, उद्योग तथा कामकाज की ट्रेनिंग आधुनिक खेती–बाड़ी ढंग सिखाने का प्रबन्ध किया जाता है। इन नौजवानों का नशीली चीजों से दूर रखने या पढ़ाई लिखाई आदि का महत्व भी सिखाया जाता है। इससे उनके सुधार और रिहाई बाद अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी जीविका कमाने में सहायता मिलती है। इस संस्था प्राईमरी स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई में बैठने का प्रबन्ध किया जाता है।

शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग

दूसरे कार्यक्रमों के साथ–2 किशोर बन्दियों को शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा के आचरण की ओर भी ध्यान रखा जाता है और उन्हें ड्रिल, जिमनास्टिक तथा यौगिक अभ्यास शिक्षण कुशल ड्रिल इन्सट्रक्टर द्वारा करवाया जाता है। साथ ही बासकिट बाल, कबड्डी आदि क्रीड़ाओं का भी प्रबन्ध है। बन्दियों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम, आपस सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याखानों का प्रबन्ध किया जाता है।

6. मनोरज़न

किशोर बन्दियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंगा–रंग कार्यक्रमों के ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी० वी० का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा चलचित्र और ड्रामें भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर अच्छी तरह से ज्ञान होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है।

7. भवन तथा स्थान

इस समय हरियाणा में निम्नलिखित जेलें हैं :–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द सोनीपत, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल व कैथल।	12
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल, हिसार	01
4.	उप जेल, पलवल, पानीपत, बल्लबगढ़ तथा जगाधरी।	04
	कुल जोड़	19

सभी कारागारों में कुल 10678 कैदियों को रखने का स्थान है।

अध्याय–4

1. बंदी संख्या

हरियाणा की जेलों में कैदियों की संख्या 01.04.2007 को 12286 थी और यह संख्
31.03.2008 को 13193 हो गई। वर्ष भर में बन्दियों की औसत संख्या 13391 थी।

विवरण संख्या –1

2. बन्दियों का प्रवेश तथा भुगतान

क. सिद्धदोषियों की संख्या 1.4.2007 को 4955 थी। वर्ष भर 8456 सिद्धदोषि
को न्यायलयों से सज़ा मिलने पर या दूसरे स्थानों पर बदलकर हरियाण
राज्य की जेलों में प्रवेश किए गए और 8489 बन्दियों की रिहाई के बा
31.3.2008 को कुल 4922 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. सिद्धदोषियों की औसत दैनिक संख्या 1.4.2007 से 31.3.2008 तक 5258 थी
सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 13391 थी।

ग. उच्च श्रेणी के दोषी

उच्च श्रेणी के दोषियों के प्रवेश तथा भुगतान का विवरण इस प्रकार है :–

1.4.2007 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2008 को शेष
33	13	08	38

घ. नज़रबंद

सभी श्रेणियों के लिए उपर दिए गए आम तथा उच्च श्रेणी के दोषियों के वर्ष भर में रखे गए नजरबन्दों का विवरण:–

1.4.2007 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2008 को शेष
		बन्दी	
.....	1	1	....

ङ जुर्माने के बदले में दोषी

जुर्माने के बदले में कैद हुए दोषियों का विवरण नीचे दिया जाता है :–

1.4.2007 को गणना	वर्ष भर में प्रवेश	वर्ष भर में छोड़े गए	31.3.2008 को शेष
23	484	439	68

च. बच्चे

नियमों के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को अपनी माताओं जिन्हें दण्ड के तौर पर जेल
में दाखिल किया जाता है, के साथ रह सकते हैं। इनका पालन–पोषण सरकारी खर्चे पर
किया जाता है। ऐसे बच्चों का विवरण नीचे दिया जाता है:–

1.4.2007 को गणना	वर्ष भर में दाखिल किए गए	जेल में पैदा हुए बच्चे	छोडे गए	31.3.2008 को शेष
57	213	7	197	80

विवरण संख्या–2

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय

वर्ष भर में भर्ती हुए दोषियों का धर्म, आयु, तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के
अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :–

तालिका–1

धर्म	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	25	0.30
मुसलमान	499	5.90
हिन्दु तथा सिख	7892	93.33
बौध तथा जैन	04	0.05
दूसरे अन्य धर्म	36	0.42
जोड़	**8456**	**100.00**

तालिका–2

अवस्था	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से कम	.....	.....
16 साल से 21 साल तक	386	4.56
22 साल से 30 साल तक	2734	32.33
31 साल से 40 साल तक	3487	41.24
41 साल से 60 साल तक	1490	17.62
60 साल से उपर	359	4.25
जोड़	8456	100.00

4. शिक्षा

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
वह जो पढ़ लिख सकते हैं	5524	65.33
वह केवल जो पढ़ सकते हैं	1434	16.96
अशिक्षित	1498	17.71
जोड़	8456	100

अध्यापकों द्वारा 1053 कैदियों को प्रोढ़ शिक्षा दी गई। वर्ष भर में विभिन्न जेलों के पुस्तकालयों से 6754 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई।

5. शिक्षित व्यवसाय

कुल भर्ती हुए 8456 कैदियों में से 4007 का सम्बन्ध खेती–बाड़ी से था तथा दूसरे शब्दों में इनकी संख्या 47.39 प्रतिशत थी। शेष बन्दियों का सम्बन्ध अन्य व्यवसायों से था।

विवरण संख्या–3

दण्ड

तालिका नं० 1

दण्ड का स्वरूप	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
साधारण कैद	1397	16.52
कठोर कैद	7059	83.48
जोड़	8456	100.00

तालिका नं० 2

दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
1 मास तक	328	03.88
1 मास से ऊपर तथा तीन मास से कम	250	02.96
3 मास से ऊपर तथा 6 मास से कम	449	05.31
6 मास से ऊपर तथा 1 वर्ष से कम	493	05.83
1 वर्ष से ऊपर तथा 2 वर्ष से कम	489	05.78
2 वर्ष से ऊपर तथा 5 वर्ष से कम	1072	12.68
5 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से कम	2228	26.35
10 वर्ष से ऊपर तथा आजीवन कारावास	3143	37.17
11 मृत्यु दण्ड	04	0.04
जोड़	8456	100.00

7. अभ्यस्थ कैदी (हैबीच्यूल)

वर्ष भर में 8456 कैदी दाखिल किए गए. दोषियों में 158 अभ्यस्थ बंदी थे।

8. विचाराधीन बन्दी

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 1.4.2007 को 7331 थी। वर्ष भर में 60575 और विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। ऐसे बन्दियों की दैनिक औसत संख्या 8133 थी।

विचाराधीन बन्दियों पर मुकदमा चलाने के फलस्वरूप 8271 (12.18 प्रतिशत) व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा 59635 (87.82 प्रतिशत) बन्दियों को निर्दोष ठहराया गया और छोड़ दिया गया। विचाराधीन बन्दियो को 44 दिन तक जेल मे रहना पडा।

विवरण संख्या–19

9. दिवानी बन्दी

वर्ष 1.4.2007 को 14 दीवानी बंदी थे। पूरे वर्ष 107 अतिरिक्त दीवानी बंदी भर्ती होने से कुल संख्या 121 हो गई। वर्ष भर मे 116 दीवानी बंदी रिहा किये गए। वर्ष के अंत में यानि 31.3.08 को उनकी संख्या 5 थी।

विवरण संख्या–9

10 सुरक्षा तथा बंदियों की देखभाल

बंदियों की सुरक्षा के प्रबंध तथा उनकी देखभाल पर वर्ष 1.4.2007 से 31.3.2008 तक रुपये 221271837/– का कुल खर्च हुआ। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 16524/– रुपये प्रति वर्ष था।

विवरण संख्या–12–क

11. बंदियों की काम पर नियुक्ति

क) बंदियों की दैनिक औसत संख्या जिन्हे कठोर कारावास दिया गया –7059

ख) बंदियों की दैनिक औसत संख्या जिन्हे जेल फैक्टरी में नियुक्त किया गया–551

12. बंदियों का स्वास्थय

बंदियों का सामान्य स्वास्थय वर्ष भर में संतोषजनक रहा बंदियों का स्तर भी ठीक प्रकार से बनाया रखा गया। बिमारियों से बचने के विभिन्न साधन जुटायें गए जैसे डी.डी.टी. के छिड़काव, चेचक के टीके आदि ,नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरों के आसपास की सफाई का ध्यान रखा गया।

क के बन्दियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पैशल वार्ड में रखा गया और उनकी रक्षा का उचित प्रबन्ध किया गया।

विवरण संख्या–14

जीवन सम्बन्धी सूचना

14850 बंदी वर्ष भर में अस्पताल में भर्ती किए गए।

विवरण संख्या–15

मुख्य रोग जैसे हैजा, पेचिस, मलेरिया, तपेदिक, निमोनिया, अनिमिया के शिकार 542 सिद्धदोषियों को भर्ती किया गया जिन मे से 2 बन्दियों की मौत हुई।

विवरण संख्या–ख (जीवांक)

वर्ष भर में 8456 बंदी दाखिल हुए। इनमें से 2464 (29.14 प्रतिशत) के वज़न में गिरी हुई तथा 5594 (66.15 प्रतिशत) के वज़न में न ही कोई कमी हुई और न ही कोई बढ़ोतरी हुई। 398 (4.71 प्रतिशत) बन्दियों के वज़न में कमी आई।

विवरण संख्या–ग

जिन बन्दियों ने उच्चतम कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन 05 बन्दियों को छूट प्रदान की गई। 50 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3453 बन्दियों को पेरोल/फर्लो पर रिहा किया गया।

अध्याय न० 5

सुधार प्रभार

सदाचार बन्दियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम–1926 पंजाब अभ्यासिक अपराधी (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम 1952 और परिवीक्षा अधिनियम 1962

विभाग का कार्यक्रम

उद्धार विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2007–08 में श्री विकास, आई०पी०एस० व श्री जोन वी० जोर्ज, आई०पी०एस० महानिदेशक कारागार हरियाणा के पास रहा। इस सम्बन्ध में श्री आर०एन० चाहलिया, आई०पी०एस०, अपर महानिदेशक कारागार, श्री एम० एस० अहलावत, आई०पी०एस० महानिरीक्षक कारागार, श्री एम० एस० मान, आई०पी०एस०, महानिरीक्षक कारागार, श्री राज कुमार व श्री जगजीत सिंह, मुख्य परिवीक्षा

अधिकारी, श्री आर०के० पटियाल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी व सतबीर शर्मा, लेखा अधिक श्री हरपाल सिहं व बृज बिहारी, अधीक्षक, श्री जसविन्द्र सिंह गिल, सहायक जिला न्याय तथा श्री ललित कुमार अनुभाग अधिकारी ने उनकी सहायता की।

भाग–I

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम–1952 के अन्तर्गत वर्ष में कोई व्यक्ति नही पकड़ा गया।

भाग–II

परिवीक्षा अधिनियम 1962

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवनों को बिना जे आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभू आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायलयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधी व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है वह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौ सारणी न० 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी न०–1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 32 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायलयों भेजी। कुल मिलाकर 36 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिल परिवीक्षा अधिकारियों की देख–भाल से 31.03.2008 को 32 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इ से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कु मिलाकर 145 निरीक्षण किए।

सारणी न०–2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 243 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम धारा–3 के अधीन भर्त्सना करके नही छोडा गया, 4 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 198 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोडा गया।

परिवीक्षा अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट 2007–08 के दौरान निरीक्षण में रखे गये परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	जिले	प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट वर्ष 2007–08 के दौरान न्यायालयों को भेजे गये।	वर्ष 2007–08 के शुरू होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति	रोने व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवीक्षाधीन रखा गया		रोने व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि को समाप्त कर दिया गया	रोने व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि ठीक प्रकार समाप्त हुई	किन्होंने परिवीक्षा नियमों का उल्लंघन किया	दूसरे राज्यों व जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजे गये की संख्या	कुल निकाले	31.03.08 के अन्त में परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या	जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया
				राज्य	राज्य से बाहर							
1	2	3	4	5 क	5 ख	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	हिसार	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	रोहतक	1	2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	2
4.	करनाल	1	4	3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	7	78
5.	सिरसा	17	14	31	.....	1	18	.....	.....	19	12	.....
6.	जीन्द	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7.	गुड़गांव	13	3	5	.....	.....	3	.....	.....	3	5	65
8.	भिवानी	.....	13	20	.....	14	14	.....	.....	14	6	.....
	कुल	32	36	59	0	15	35	0	0	36	32	145

सारणी–II

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई वार्षिक विवरण पत्र 2007–08

क्रम सं०	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्त्सना करके छोड़े गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनि के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	....	....	....	....
2.	हिसार	....	....	....	....
3.	रोहतक	....	....	4	4
4.	करनाल	....	12	3	15
5.	सिरसा	....	32	19	51
6.	जीन्द	....	2	....	2
7.	गुडगावं	....	134	5	139
8.	भिवानी	....	18	14	32
	कुल	0	198	45	243

नल

कुल मिलाकर पीने का पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

गन्दे पानी का निकास

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को चाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

वार्डर गार्द

अब केवल वार्डर गार्द का एक ही सर्कल अम्बाला है। इस विभाग की स्वीकृति था इस प्रकार है :–

मुख्य वार्डर	–	204
वार्डर	–	2003
गैटरन	–	42
महिला वार्डर	–	112

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा।

जेल निरीक्षण

माननीय व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

माननीय मुख्य मंत्री / मंत्रीगण	☞	2
उच्च न्यायलय के न्यायधीश	☞	16
आयुक्त तथा जिलाधीश	☞	2
जिला एवं सैशन जज	☞	218
उपायुक्त	☞	23
महानिदेशक कारागार / अपर महानिरीक्षक जेल	☞	33
गैर सरकारी दर्शक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों	☞	281

चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2007–08 में किसी अधिकारी / कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि इन बातों को यहां दोहरा की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य संतोषजनक रहा बन्दियों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्दियों सुधार की ओर भी प्रगति हुई।

2. वर्ष 2007–08 में विभिन्न उद्योगों से रुपये 7013531/– उत्पादन हुआ।

आकड़ों से ध्यान में निम्नलिखित सूचना विचाराधीन है :–

क. 16 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 4.79 प्रतिशत से घट कर 4.56 प्रतिशत हो गई।

ख. जेलों में प्रविष्ठ होने वाले व्यक्तियों में पढ़े–लिखों की संख्या 65.33 प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष या इससे कम अवधी की सज़ा पाने वालों की संख्या 18.80 प्रतिशत से घट कर 17.98 प्रतिशत हो गई क्यों कि थोड़ी अवधी वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधी की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

घ. मृत्यु दण्डित आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष तक दण्डित बन्दियों की संख्या 33.22 प्रतिशत से बढ कर 37.22 प्रतिशत हो गई।

ङ लगभग 87.82 प्रतिशत विचाराधीन बंदी निर्दोष पाये गए। विचाराधीन बन्दियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध को स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लघु अपराध में विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोडा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

(आर० सी० जोवल)
महानिरीक्षक कारागार, हरियाणा।

48819—D.G.P.—H.G.P., Chd.